

पत्थरगडी

ग्राम स्वराज की ओर

*‘I wish, therefore, that the village constitutions
may never be disturbed and I dread everything
that has a tendency to break them up.’*

Report, Select Committee of the House
of Commons, 1832

भारत का संविधान



ग्राम सभा भण्डरा सर्वशाक्त सम्पन्नता

दिनांक-09.03.2017 (बृहस्पतिवार)

पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि -

- (1) भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत रुढ़ि या प्रथा ही विधि का बल है यानि संविधान का शक्ति है।
- (2) अनुच्छेद 19(5) के तहत पाँचवी अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रुढ़ि प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घुमना-फिरना वर्जित करता है।
- (3) भारत का संविधान अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई भी बाहरी व्यक्तियों को पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवसाय, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है।
- (4) पाँचवी अनुसूची जिलों या क्षेत्रों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) भाग (स) पारा (5)(1) के तहत संसद या विधानमण्डल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है।

आदेशानुसार

भा-भण्डरा



जमीनी हकीकत

- खूँटी, चाईबासा, लातेहार, लोहरदगा तथा अन्य कुछ जिलों में पत्थरगडी के प्रयास हो रहे हैं
- कम से कम दो सौ गाँव में किया जा चुका है.

जमीनी हकीकत

- संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर बात करने बैठे
- सत्तर साल में कोई विकास नहीं
- जमीन बचाने की जद्दोजेहद
- इससे जुड़ी अफवाह


मूल में है जमीन का मुद्दा

- छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908
- संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949
- 2016 में हुए संशोधन का प्रयास, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लौटाए
- मोमेंटम झारखण्ड

जमीन की जंग

झारखंड में पिछले छह महीने के दौरान पत्थरगड़ी की घटनाओं में काफी तेजी आई है

- झारखंड में जिलेवार भूमि बैंक के लिए ली गई गैरमजबूत जमीन (एकड़ में)
- जिलेवार पत्थरगड़ी करने वाले गांवों की संख्या



डीटीई/सीएसई डेटा सेंटर द्वारा तैयार

इन्फोग्राफिक: राज कुमार सिंह | डेटा स्रोत: राज्य निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड; पत्थरगड़ी की घटनाएं: सामाजिक कार्यकर्ताओं के हवाले से

इन्फोग्राफिक के लिए: www.downtoearth.org.in/infographics जाएं।

पथलगड़ी करवाने वाले ...लेकिन चिपकवा रहे हैं
बना रहे राजनीतिक दल चुनाव बहिष्कार के पोस्टर

पूर्वी सिंहभूम के गांवों में स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर संविधान विरोधी स्लोगन लिखे गए हैं।
 दीवारों पर लिखा, आदिवासी
 = न्यामिल नहीं होंगे



● गांवों में बिना पानी के शामिल नहीं होंगे

(ਬ੍ਰੂਟੀ) ਰਾਖੀ / ਅਜਵ ਰਾਜਾ

प्रायः खंड के आदिवासी बहुत गांवों में
परंपरागम्यी सरकार के लिए एक चुनौती
बनती जा रही है। आदिवासी जिन गांवों
में परंपरागम्यी सरकारों के हैं, उन गांवों में
ग्रहण लेनों का अग्रगण्य के बाद ही
पुनिस बल ऐसे किसी भी गांव में
सरकारी काम के लिए नहीं जा सकते हैं।
इसके लिए गांवों की परामर्शक यात्रा
पक्ष की अनुमति जरूरी है अन्यथा उन्हें
पकड़ बना लिया जाता है।

25 अमरस को बाँट दिया
 व में आदिवासियों ने एक
 और सी और के अलग पुलिस
 पत्नों को गांव में कारवाई के
 से बंधक बना लिया था।
 होने 22 फरवरी को भी
 ठगाना गांव में अमरस की
 ई पुलिस को ब्राह्मणों
 1 बा और अधिकारियों
 करने के बाद उन्हें

गुजरात से संचालित होती है नई पथलगड़ी

नये तरह की पथलगी की
वालों का मानना है कि
आदिवासियों —
गुजर

हाल :-

कोरियाई कंपनी को पसंद थी जमीन

कोरियाई कंपनी के प्रतिनिधियों ने जमीन देखने के बाद अपने प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखा दी। तब सरकार ने यहां बुद्धरत्न पर काम शुरू करवाया था। जमीनी की मांग करवाकर जैसीही मांगीने लगानकर जमीन का समतलीकरण कराया गया। जैसे ही यहां वीयर कर दिए जाने की बारी आई कुछ ग्रामीणों ने यहां काम कर के लोगों को भगा दिया था। अब यहां काम पूरी तरह से छड़ा है।

विशेष शाखा ने किया था आगा
विशेष शाखा ने बीजे का अग्रस्त नाम के पहले
संस्थान में खाद्य पर्यवेक्षण की तकनीक के संशोधन से
की जानकारी रखकर को दी थी। इसके बाद वह
संशोधन प्रियम पत्र तहत कार्य करने में भी
अग्रणी की गई थी। बाद में प्रशासन के हस्तगत
हुआ संशोधन नाम का एक ही संस्थान इसमें
की गयी है।

और पुलिस-प्रशासन को देख प्रोजेक्ट से पीछे हटने पर तैयार नहीं।

मोमेंटम झारखंड को लगा तब...

डा. रघु. 2-2-2003
भारतीय संविधान में अनु
सूचित क्षेत्रों के लिए
समाज की प्रतिष्ठा

— कानून में दिलावा

लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया।

। इस और पुलिस-प्रशासन की
मे तीन देख प्रोजेक्ट से पीछे हटने
किया। भलाई समझी।
हमारे घर आदि

सरकार और मीडिया का रुख

शुक्रिया